रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2016/ज्येष्ठ 19, 1938**
No. 247]	**NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2016/ JYAISTHA 19, 1938**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2016

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2016

(2016 का 04)

सं. 5–1/2014–प. एवं का.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उप–धारा (1) तथा धारा 36 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. (1) इस विनियम को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2016 कहा जाएगा।
(2) यह विनियम, इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (जिन्हें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम 3 के उप–विनियम (iii) में तालिका–क में ''ग्रेड/पद'' कॉलम के तहत अधिकारियों के संवर्ग के तहत ''तकनीकी अधिकारी'' प्रविष्टि के पश्चात् ''तकनीकी अधिकारी (अभियांत्रिकी)'' को अंतःस्थापित किया जाएगा।
3. मूल विनियम के विनियम 5 में,.....
(क) उप–विनियम (i) में, तालिका में,....
(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम में संयुक्त सलाहकार के पद के समक्ष ''प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि के स्थान पर ''प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) ''पद का नाम'' कॉलम के तहत ''तकनीकी अधिकारी'' प्रविष्टि के पश्चात् ''तकनीकी अधिकारी (अभियांत्रिकी)'' प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा तथा ऐसे अंतःस्थापित ''तकनीकी अधिकारी (अभियांत्रिकी)'' पद के समक्ष, ...
(क) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत ''प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'', प्रविष्टि; और (ख) ''योग्यता/अनुभव'' कॉलम के तहत ''अनुसूची–I के यथानुसार'' प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा;
(ख) उप–विनियम (iii) के पश्चात्, निम्न स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः–
''स्पष्टीकरण : संदेह दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सचिव, प्रधान सलाहकार, सलाहकार और संयुक्त सलाहकार के पद पर चयन हेतु नियुक्ति होने पर अधिकारियों द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संवर्ग में सम्मिलित किए जाने के पश्चात् भारतीय दूरसंचार

विनियामक प्राधिकरण में प्रदान की गई सेवा को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा तथा उक्त पदों पर सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति के माध्यम से उनके चयन हेतु विनिर्दिष्ट आयु सीमा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण संवर्ग के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।''
4. मूल विनियम के विनियम 10क में उप–विनियम (1) के स्थान पर, निम्न उप–विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :–
''(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर, उपर्युक्त आदेश के माध्यम से स्थायी आमेलन आधार पर अधिकारियों के संवर्ग से किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है:
बशर्ते किसी भी व्यक्ति को स्थायी आमेलन आधार नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने,..
(क) प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर प्राधिकरण में स्थायी रूप से आमेलित होने के लिए लिखित में अपना विकल्प न दिया हो; और
(ख) प्राधिकरण में एक वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण न की हो;
बशर्ते आगे कि प्रथम परंतुक के खण्ड (ख) में अंतर्विष्ट कोई भी शर्त वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ग्रेड तक की नियुक्ति पर लागू नहीं होगी।''
5. मूल विनियम के विनियम 14, के उप–विनियम (iii), में .....
(क) ''इस विनियम के लागू होने पर'' शब्दों का लोप किया जाएगा; (ख) तालिका–ख में ''ग्रेड/पद'' कॉलम के तहत कर्मचारी संवर्ग में ''ड्राइवर(ग्रेड–I), ड्राइवर(ग्रेड–II)'' प्रविष्टि के स्थान पर ''ड्राइवर(विशेष ग्रेड), ड्राइवर (ग्रेड–I) ड्राइवर (ग्रेड–II), ड्राइवर (साधारण ग्रेड)'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
6. मूल विनियम के विनियम 16, में .....
(क) उप–विनियम (i) में, तालिका में, ''पद का नाम'' कॉलम के तहत ''अवर श्रेणी लिपिक'' प्रविष्टि के पश्चात् ''ड्राइवर(विशेष ग्रेड)'' को अंतःस्थापित किया जाएगा तथा ''ड्राइवर(विशेष ग्रेड)'' पद के समक्ष निम्न अंतःस्थापित किया जाएगा,....
(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत, ''प्रोन्नति'' प्रविष्टि, तथा (ii) ''योग्यता/अनुभव'' प्रविष्टि के तहत ''अनुसूची-II के यथानुसार''... प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा;
(ख) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम में ड्राइवर (ग्रेड–I) पद के समक्ष ''प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन'' प्रविष्टि के स्थान पर ''प्रोन्नति'' प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ग) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम में ''ड्राइवर (ग्रेड–II)'' पद के समक्ष ''प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/ सीधी भर्ती'' प्रविष्टि के स्थान पर ''प्रोन्नति'' प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(घ) ''पद का नाम'' कॉलम के तहत ''ड्राइवर (ग्रेड–II)'' प्रविष्टि के पश्चात् ''ड्राइवर (साधारण ग्रेड)'' को अंतःस्थापित किया जाएगा तथा ''ड्राइवर(साधारण ग्रेड)'' पद के समक्ष निम्न अतःस्थापित किया जाएगा,....
(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत ''प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि; और (ii) ''योग्यता/अनुभव'' प्रविष्टि के तहत ''अनुसूची-II के यथानुसार''... प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा;
7. मूल विनियम के विनियम 21क में, उप–विनियम(1) के स्थान पर निम्न उप–विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः–
''(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर, उपर्युक्त आदेश के माध्यम से स्थायी आमेलन आधार पर कर्मचारियों के संवर्ग से किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है:
बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को स्थायी आमेलन आधार पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे किसी व्यक्ति ने, स्थायी आमेलन हेतु प्राधिकरण द्वारा पूछे जाने पर, लिखित में प्राधिकरण में स्थायी रूप से आमेलित होने का विकल्प न दिया हो।''
8. मूल विनियम की अनुसूची–I में, ...
(क) ''प्रतिनियुक्ति हेतु योग्यता तथा अनुभव'' शीर्षक के तहत प्रधान सलाहकार के पद के समक्ष'',
(i) प्रविष्टि (ii) में, ''तीन वर्षों की नियमित सेवा'' शब्दों के स्थान पर ''चार वर्षों की नियमित सेवा'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा: (ii) प्रविष्टि (iii) में, ''तीन वर्षों की नियमित सेवा'' शब्दों के स्थान पर ''चार वर्षों की नियमित सेवा'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
(ख) संयुक्त सलाहकार के पद के समक्ष, ...
(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत ''प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः–
''(i) प्रोन्नति के माध्यम से पचास प्रतिशत पदों को भरा जाएगा, ऐसा न होने पर पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा। (ii) पचास प्रतिशत पदों को ''प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' के माध्यम से भरा जाएगा।''
(ii) ''प्रोन्नति हेतु सेवा की अवधि'' कॉलम के तहत ''(i) जिस पद के लिए चयन किया जाना है, उससे एक ग्रेड नीचे के पद पर चार वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारियों में से प्रोन्नति के माध्यम से ''प्रविष्टि के स्थान पर'' जिस पद के लिए चयन किया जाना है, उससे एक ग्रेड नीचे के पद पर पांच वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारी, जिनके पास अपेक्षित शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यता है, उन अधिकारियों में से प्रोन्नति के माध्यम से'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) ''प्रतिनियुक्ति हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत,

(क) प्रविष्टि (ii) में, ''चार वर्षों की नियमित सेवा'' शब्दों के स्थान पर ''पांच वर्षों की नियमित सेवा'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) प्रविष्टि (iii) में, ''चार वर्षों की नियमित सेवा'' शब्दों के स्थान पर ''पांच वर्षों की नियमित सेवा'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) ''पद का नाम'' कॉलम के तहत ''तकनीकी अधिकारी'' प्रविष्टि के पश्चात् ''तकनीकी अधिकारी (अभियांत्रिकी)'' प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा तथा ऐसे अंतःस्थापित ''तकनीकी अधिकारी (अभियांत्रिकी)'' पद के समक्ष, ...

(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत ''प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'', प्रविष्टि;

(ii) ''सीधी भर्ती हेतु योग्यता तथा अनुभव'' कॉलम के तहत ''इलेक्ट्रॉनिक्स/दूरसंचार/सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर विज्ञान विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियांत्रिकी में उपाधि (डिग्री) के साथ संगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव'';

(iii) ''प्रोन्नति हेतु सेवा की अवधि'' कॉलम के तहत ''लागू नहीं'' प्रविष्टि;

(iv) ''प्रतिनियुक्ति हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत ''केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा सांविधिक और स्वायत्त निकायों के अधिकारी, जिन्हें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स/दूरसंचार/सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर विज्ञान विषय में अभियांत्रिकी विषय में उपाधि प्राप्त हो अथवा (ii) अनुभाग अधिकारी अथवा समकक्ष ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों। अधिकारी को कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान तथा संगत क्षेत्र में अनुभव अवश्य होना चाहिए''; और

(v) ''सीधी भर्ती हेतु आयु'' कॉलम के तहत ''तीस वर्ष से अधिक नहीं हो'' प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(घ) अंत में आने वाले टिप्पण 6 के पश्चात्, निम्न अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :–

''**टिप्पण 7** –सहायक, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, उप–सलाहकार, संयुक्त सलाहकार, सलाहकार, प्रधान सलाहकार और सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु 'तुरंत आमेलन' किए जाने के नियम से छूट अपेक्षित नहीं है।''

9. मूल विनियम की अनुसूची–II में, ...

(क) ''प्रोन्नति हेतु सेवा की अवधि'' कॉलम के तहत सहायक के पद के समक्ष ''कम्प्यूटर के कार्यसाधक ज्ञान के साथ अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में दस वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों के मध्य से प्रोन्नति के माध्यम से'' प्रविष्टि के स्थान पर ''कम्प्यूटर के कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों के मध्य से प्रोन्नति के माध्यम से जो (i) अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में दस वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, अथवा (ii) फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर के ग्रेड में दस वर्षों की नियमित सेवा के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से मैट्रिक अथवा समकक्ष योग्यता तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा आयोजित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हो'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) ''प्रोन्नति हेतु सेवा की अवधि'' कॉलम के तहत अवर श्रेणी लिपिक के पद के समक्ष, ...

(i) प्रविष्टि (ii) में, ''अंग्रेजी/हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति'' शब्दों के पश्चात् ''अथवा कम्प्यूटर प्रचालन में प्रवीणता का निर्धारण परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) प्रविष्टि (ii) में, ''हिन्दी'' शब्द के पश्चात् आने वाले शब्द ''तथा'' का लोप किया जाएगा;

(iii) प्रविष्टि (iii) का लोप किया जाएगा;

(ग) ''पद का नाम'' कॉलम के तहत ''अवर श्रेणी लिपिक'' प्रविष्टि के पश्चात्, ''ड्राइवर(विशेष ग्रेड)'' को अंतःस्थापित किया जाएगा तथा ऐसे अंतःस्थापित ''ड्राइवर(विशेष ग्रेड)'' के पद के समक्ष, ...

(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत ''प्रोन्नति'', प्रविष्टि;

(ii) ''सीधी भर्ती हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत ''लागू नहीं'' प्रविष्टि;

(iii) ''प्रोन्नति हेतु सेवा की अवधि/अनुभव'' कॉलम के तहत'' 2800 रुपए ग्रेड–पे के साथ पे–बैंड–I (5200–20200 रुपए) में ड्राइवर (ग्रेड–I) में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों के मध्य से प्रोन्नति के माध्यम से'' प्रविष्टि;

(iv) ''प्रतिनियुक्ति के आधार पर योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत ''लागू नहीं'' प्रविष्टि; और

(v) ''सीधी भर्ती हेतु आयु'' कॉलम के तहत ''लागू नहीं'' प्रविष्टि....
को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(घ) ड्राइवर (ग्रेड–I) के पद के समक्ष, ...

(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत ''प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि के स्थान पर ''प्रोन्नति'' प्रविष्टि;

(ii) ''सीधी भर्ती हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत'' ''लागू नहीं'' प्रविष्टि;

(iii) ''प्रोन्नति हेतु सेवा की अवधि/अनुभव'' कॉलम के तहत ''2400 रुपए ग्रेड–पे के साथ पे–बैंड–I (5200–20200 रुपए) में ड्राइवर (ग्रेड–II) में छह वर्ष की नियमित सेवा अथवा ड्राइवर ग्रेड–II तथा ड्राइवर (साधारण ग्रेड) में कुल पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारी, जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया हो, की प्रोन्नति के माध्यम से'' प्रविष्टि;

(iv) ''प्रतिनियुक्ति हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत ''लागू नहीं'' प्रविष्टि; और

(v) ''सीधी भर्ती हेतु आयु'' कॉलम के तहत ''लागू नहीं'' प्रविष्टि, को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ङ) ड्राइवर(ग्रेड–II) के पद के समक्ष, ...
(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत ''प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि के स्थान पर ''प्रोन्नति'' प्रविष्टि; (ii) ''सीधी भर्ती हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत'' ''लागू नहीं'' प्रविष्टि; (iii) ''प्रोन्नति हेतु सेवा की अवधि/अनुभव'' कॉलम के तहत ''1900 रुपए ग्रेड–पे के साथ पे–बैंड–I (5200–20200 रुपए) में ड्राइवर(साधारण ग्रेड) में नौ वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों के मध्य से प्रोन्नति के माध्यम से'' प्रविष्टि; (iv) ''प्रतिनियुक्ति हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत ''लागू नहीं'' प्रविष्टि; और (v) ''सीधी भर्ती हेतु आयु'' कॉलम के तहत ''लागू नहीं'' प्रविष्टि, को अंतःस्थापित किया जाएगा;
(च) ''पद का नाम'' कॉलम के तहत ''ड्राइवर(ग्रेड–II)'' प्रविष्टि के पश्चात् ''ड्राइवर(साधारण ग्रेड)'' को अंतःस्थापित किया जाएगा तथा ऐसे अंतःस्थापित ''ड्राइवर(साधारण ग्रेड)'' के पद के समक्ष,...
(i) ''भर्ती का तरीका'' कॉलम के तहत ''प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि; (ii) ''सीधी भर्ती हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत ''च(i) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण, (ii) मोटर कार चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेंस होना चाहिए, (iii) मोटर–वाहन प्रणाली का ज्ञान(वाहन में छोटी–मोटी खामियों को दूर करने में सक्षम हो) और (iv) तीन वर्ष मोटर कार चलाने का अनुभव हो'', प्रविष्टि; (iii) ''प्रोन्नति हेतु सेवा की अवधि/अनुभव'' कॉलम के तहत ''(i) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण, (ii) मोटर कार चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेंस होना चाहिए, (iii) मोटर–वाहन प्रणाली का ज्ञान(वाहन में छोटी–मोटी खामियों को दूर करने में सक्षम हो) और (iv) तीन वर्ष मोटर कार चलाने का अनुभव हो'', प्रविष्टि; (iv) ''प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण हेतु योग्यता और अनुभव'' कॉलम के तहत ''केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कर्मचारी, जिन्होंने समकक्ष पद धारण किया हो अथवा समूह घ के कर्मचारी, जिन्हें निम्न योग्यता प्राप्त हो– ''(i) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण, (ii) मोटर कार चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेंस होना चाहिए, (iii) मोटर–वाहन प्रणाली का ज्ञान(वाहन में छोटी–मोटी खामियों को दूर करने में सक्षम हो) और (iv) तीन वर्ष मोटर कार चलाने का अनुभव हो'', और (v) ''सीधी भर्ती हेतु आयु'' कॉलम के तहत ''चालीस वर्ष से अधिक न हो'' प्रविष्टि, को अंतःस्थापित किया जाएगा;
10. मूल विनियम की ''अनुसूची–III'' में, ''पद का नाम'' कॉलम के तहत, ...
(क) ''तकनीकी अधिकारी'' प्रविष्टि के स्थान पर ''तकनीकी अधिकारी तथा तकनीकी अधिकारी (अभियांत्रिकी)'' प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा;
(ख) ''ड्राइवर(ग्रेड–I)'' और ''ड्राइवर(ग्रेड–II)'' प्रविष्टि के स्थान पर ''ड्राइवर (विशेष ग्रेड), ड्राइवर(ग्रेड–I), ड्राइवर(ग्रेड'II) तथा ड्राइवर(साधारण ग्रेड)'' प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

सी. पी. एस. बक्शी, सलाहकार (प्रशासन)

[विज्ञापन.-III/4/असा./128/16]

टिप्पणी– मूल विनियम संख्या 5–4/2000 (प्र0एवंका0) दिनांक 15 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन किए गए:–

(i)	1–6/2002–प्र0एवंका0 दिनांक 22 जनवरी, 2004
(ii)	5–4/2000–प्र0एवंका0(खण्ड–I) दिनांक 11 मई, 2004
(iii)	5–4/2000–प्र0एवंका0(खण्ड–II) दिनांक 17 जून, 2004
(iv)	5–4/2000–प्र0एवंका0(खण्ड–II) दिनांक 10 मई, 2005
(v)	5–4/2000–प्र0एवंका0(खण्ड–II) दिनांक 26 मई, 2006
(vi)	5–4/2000–प्र0एवंका0(खण्ड–II) दिनांक 09 अक्तूबर, 2006
(vii)	5–4/2000–प्र0एवंका0 दिनांक 31 दिसम्बर, 2008
(viii)	5–4/2005–प्र0एवंका0 दिनांक 20 मार्च, 2009
(ix)	5–4/2000–प्र0एवंका0 दिनांक 23 अप्रैल, 2010
(x)	5–4/2000–प्र0एवंका0 दिनांक 14 जुलाई, 2010

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 8 June, 2016

THE TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (OFFICERS AND STAFF APPOINTMENT) (ELEVENTH AMENDMENT) REGULATION, 2016.

(No. 4 of 2016)

No. 5-1/2014–A&P.–In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-section (1) of section 10, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulation further to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001(2 of 2001), namely:—

1.(1) This regulation may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (Eleventh Amendment) Regulation, 2016.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In regulation 3 of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (hereinafter referred to as the principal regulation), in sub-regulation (iii), in the Table A. Officers' Cadre, under column "Grade/post", after the entry "Technical Officer", the entry "Technical Officer (Engineering)" shall be inserted.
3. In regulation 5 of the principal regulation,---
(a) in sub-regulation (i), in the Table,---
(i) against the post of Jt. Advisor, in the column "Mode of recruitment", for the entry "Deputation/Absorption/ Direct Recruitment", the entry "Promotion/Deputation/ Absorption/Direct Recruitment" shall be substituted;
(ii) after the entry "Technical Officer", under column "Name of the Post", the entry "Technical Officer (Engineering)" shall be inserted and against the post "Technical Officer (Engineering)" so inserted,---
(A) under column "Mode of recruitment", the entry "Deputation/Absorption/Direct Recruitment"; and (B) under column "Qualification/Experience", the entry "As in Schedule I"--- shall be inserted;
(b) after sub-regulation (iii), the following Explanation shall be inserted, namely:-
"**Explanation**: For removal of doubts, it is clarified that on appointment on selection to the post of Secretary, Principal Advisor, Advisor and Joint Advisor, the service rendered in TRAI by the officers after inclusion in the cadre of TRAI shall be counted for grant of retiral benefits and the age limit specified for selection by direct recruitment and deputation shall not apply to the officers of TRAI cadre on their selection to the said posts."
4. In regulation 10A of the principal regulation, for sub regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-
"(1) The Appointing Authority may, from time to time, by appropriate order, appoint any person in the officer cadre on permanent absorption basis:
Provided that no person shall be appointed on permanent absorption basis unless such person has,---
(a) given in writing his option to get permanently absorbed in the Authority, on being called upon to do so by the Authority; and
(b) completed one year on deputation in the Authority:
Provided further that nothing contained in clause (b) of the first proviso shall apply to the appointment upto the grade of Senior Research Officer."
5. In regulation 14 of the principal regulation, in sub-regulation (iii), ---
(a) the words "On the commencement of this Regulation" shall be omitted; (b) in the Table B. Staff Cadre, under column "Grade/post", for the entry "Driver (Grade I) Driver (Grade II)", the entry "Driver (Special Grade) Driver (Grade I) Driver (Grade II) Driver (Ordinary Grade)" shall be substituted;
6. In regulation 16 of the principal regulation, ---
(a) in sub-regulation (i), in the Table, after the entry "Lower Division Clerk", under column "Name of the Post", the

entry “Driver (Special Grade)” shall be inserted and against the post “Driver (Special Grade)” so inserted,---

(i) under column “Mode of recruitment”, the entry “Promotion”; and

(ii) under column “Qualification/Experience”, the entry “As in Schedule II”---

shall be inserted;

(b) against the post of Driver (Grade I), in the column “Mode of recruitment”, for the entry “Promotion/Deputation/Absorption”, the entry “Promotion” shall be substituted;

(c) against the post of Driver (Grade II), in the column “Mode of recruitment”, for the entry “Promotion/Deputation/Absorption/Direct Recruitment”, the entry “Promotion” shall be substituted;

(d) after the entry “Driver (Grade II)”, under column “Name of the Post”, the entry “Driver (Ordinary Grade)” shall be inserted and against the post “Driver (Ordinary Grade)” so inserted,---

(i) under column “Mode of recruitment”, the entry “Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment”; and

(ii) under column “Qualification/Experience”, the entry “As in Schedule II”---

shall be inserted.

7. In regulation 21A of the principal regulation, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

“(1) The Appointing Authority may, from time to time, by appropriate order, appoint any person in the staff cadre on permanent absorption basis:

Provided that no person shall be appointed on permanent absorption basis unless such person has, on being called upon by the Authority for permanent absorption, given in writing his option to get permanently absorbed in the Authority.”

8. In Schedule I to the principal regulation,---

(a) against the post of Principal Advisor, under the heading “Qualification and experience for deputation”,

(i) in entry (ii), for the words “three years of regular service”, the words “four years of regular service” shall be substituted;

(ii) in entry (iii), for the words “three years of regular service”, the words “four years of regular service” shall be substituted;

(b) against the post of Joint Advisor,---

(i) under the column “Mode of Recruitment”, for the entry “Deputation/Absorption/ Direct Recruitment”, the following entry shall be substituted, namely:-

“(i) Fifty percent of posts, by promotion failing which by deputation.

(ii) Fifty percent of posts by deputation/absorption/direct recruitment.”

(ii) under the column “Length of service for promotion”, for the entry “Promotion from amongst officers with (i) 4 years of regular service in a grade immediately below”,

the entry “Promotion from amongst the officers with five years of regular service in a grade immediately below possessing the requisite educational and technical qualifications” shall be substituted;

(iii) under the column “Qualification and experience for deputation”,

(A) in the entry (ii), for the words “four years of regular service”, the words “five years of regular service” shall be substituted;

(B) in the entry (iii), for the words “four years of regular service”, the words “five years of regular service” shall be substituted;

(c) after the entry “Technical Officer”, under column “Name of Post”, the entry “Technical Officer (Engineering)” shall be inserted and against the post “Technical Officer (Engineering)” so inserted, ---

(i) under column “Mode of recruitment”, the entry “Deputation/Absorption/Direct Recruitment”;

(ii) under column “Qualification & experience for Direct Recruit”, the entry “Engineering degree in Electronics/ Telecommunication/ Information Technology/ Computer Science from a recognized University/ Institutions, with three years experience in the relevant field.”;

(iii) under column “Length of service for promotion”, the entry “Not Applicable”;

(iv) under column “Qualification and experience for deputation”, the entry “Officers of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies with Engineering degree in Electronics/ Telecommunication/ Information Technology/ Computer Science from a recognized University/ Institutions, (i) holding equivalent post or (ii) with three years of regular service in grade of Section Officer or equivalent. The officer must possess the working knowledge of computer and experience in the relevant field.”; and

(v) under column "Age for Direct Recruit", the entry "Not exceeding thirty years"---
shall be inserted;

(d) after the Note 6 occurring at the end, the following shall be inserted, namely:-

"**Note 7**. - The exemption from the rule of immediate absorption is not required for appointment on deputation basis for the posts of Assistant, Section Officer, Senior Research Officer, Deputy Advisor, Joint Advisor, Advisor, Principal Advisor and Secretary."

9. In Schedule II to the principal regulation,---

(a) against the post of Assistant, under the column "Length of service for promotion", for the entry "Promotion from amongst the officials with ten years of regular service in the LDC grade with working knowledge of computer.", the entry "Promotion from amongst the officials having working knowledge of computer with (i) ten years of regular service in the grade of Lower Division Clerk or (ii) ten years of regular service in the grade of Photo Copy Machine Operator with Matric or equivalent qualification from a recognised board or institution and successfully qualifying examination held by TRAI." shall be substituted;

(b) against the post of Lower Division Clerk, under the column "Length of service for promotion",---

(i) in entry (ii), after the words "a typing speed of 30 w.p.m. in English/Hindi", the words "or proficiency in computer operation to be determined through test" shall be inserted;

(ii) the word "and", occurring after the word "Hindi" in entry (ii), shall be deleted;

(iii) the entry (iii) shall be deleted.

(c) after the entry "Lower Division Clerk", under column "Name of Post", the entry "Driver (Special Grade)" shall be inserted and against the post "Driver (Special Grade)" so inserted,---

(i) under column "Mode of recruitment", the entry "Promotion";

(ii) under column "Qualification & experience for Direct Recruit", the entry "Not Applicable";

(iii) under column "Length of service for promotion/experience", the entry "Promotion from amongst the officials with three years of regular service in the Driver (Grade I) in pay band-I (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2800.";

(iv) under column "Qualification & experience for transfer on deputation", the entry "Not Applicable"; and

(v) under column "Age for Direct Recruit", the entry "Not Applicable"---

shall be inserted;

(d) against the post of Driver (Grade I),--

(i) under column "Mode of Recruitment", for the entry "Promotion/Deputation/Absorption/Direct Recruitment", the entry "Promotion";

(ii) under column "Qualification & experience for Direct Recruit", the entry "Not Applicable";

(iii) under column "Length of service for promotion/experience" the entry "Promotion from amongst the officials with six years of regular service in the Driver (Grade II) in pay band-I (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400 or with combined service of fifteen years in Driver Grade II and Driver (Ordinary Grade) and having passed the trade test specified by the Government.";

(iv) under column "Qualification and experience for transfer on deputation", the entry "Not Applicable"; and

(v) under column "Age for Direct Recruit", the entry "Not Applicable",

shall be substituted;

(e) against the post of Driver (Grade II),---

(i) under column "Mode of Recruitment", for the entry "Promotion/Deputation/ Absorption/Direct Recruitment", the entry "Promotion";

(ii) under column "Qualification & experience for Direct Recruit", the entry "Not Applicable";

(iii) under column "Length of service for promotion/experience" the entry "Promotion from amongst the officials with nine years of regular service in the Driver (Ordinary Grade) in the pay band-I (Rs. 5200-20200) with Grade pay of Rs. 1900.";

(iv) under column "Qualification and experience for transfer on deputation", the entry "Not Applicable"; and

(v) under column "Age for Direct Recruit", the entry "Not Applicable",

shall be substituted;

(f) after the entry "Driver (Grade II)", under column "Name of Post", the entry "Driver (Ordinary Grade)" shall be inserted and against the post "Driver (Ordinary Grade)" so inserted,---

(i) under column "Mode of Recruitment", the entry "Promotion/Deputation/ Absorption/Direct Recruitment";

(ii) under column "Qualification & experience for Direct Recruit", the entry "(i) 8th pass, (ii) possessing a valid

driving licence for motor cars, (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles) and (iv) experience of driving of motor cars for three years";

(iii) under column "Length of service for promotion/experience", the entry "Attendant who possesses the following– (i) pass in 8th Standard, (ii) possessing a valid driving licence for motor cars, (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles) and (iv) experience of driving of motor cars for three years";

(iv) under column "Qualification and experience for transfer on deputation", the entry "Officials of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies holding equivalent post or Attendant/ Group D employee who possesses the following–

(i) pass in 8th Standard, (ii) possessing a valid driving licence for motor cars, (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles) and (iv) experience of driving of motor cars for three years."; and

(v) under column "Age for Direct Recruit", the entry "Not exceeding forty years",

shall be inserted.

10. In Schedule III to the principal regulation, under column "Name of the Post",---

(a) for the entry "Technical Officer", the entry "Technical Officer & Technical Officer (Engineering)" shall be inserted;

(b) for the entry "Driver (Grade I) Driver (Grade II)", the entry "Driver (Special Grade) Driver (Grade I) Driver (Grade II) Driver (Ordinary Grade)" shall be substituted.

C. P. S. BAKSHI, Advisor (Admin)

[ADVT.-III/4/Exty./128/16]

Note.--- The principal regulations were published vide no.5-4/2000 (A&L) dated 15th February 2001 and amended vide

(i) 1-6/2002-A&L dated 22nd January, 2004

(ii) 5-4/2000-A&L (Vol.I) dated 11th May, 2004

(iii) 5-4/2000-A&L (Vol.II) dated 17th June, 2004

(iv) 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 10th May, 2005

(v) 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 26th May, 2006

(vi) 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 9th October, 2006

(vii) 5-4/2000-A&P dated 31st December, 2008

(viii) 5-4/2005-A&P dated 20th March, 2009

(ix) 5-4/2000-A&P dated 23rd April, 2010

(x) 5-4/2000-A&P dated 14th July, 2010

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.